

## प्रलिमिंस फैक्ट्स: 06 अगस्त, 2021

- [प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़](#)
- [ई-जेल परियोजना](#)

### प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़ Plastic-Mixed Handmade Paper

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग \(KVIC\)](#) ने [प्लास्टिक](#) के प्रयोग से नज्जात पाने के लिये प्राकृतिक रूप से वकिसति अपने प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ हेतु [पेटेंट](#) पंजीकरण किया है।

#### प्रमुख बडि



- प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़ (जो पुनः प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल है) को [प्रोजेक्ट रपिलान](#) (प्रकृत से प्लास्टिक को कम करना) के तहत वकिसति किया गया था।
  - [सुवच्छ भारत अभियान](#) के लिये KVIC की प्रतबिद्धता के हस्से के रूप में इस परियोजना को **सर्तिबर 2018 में लॉन्च** किया गया था।
  - इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास फाइबर रैग के साथ संसाधति और उपचारति प्लास्टिक कचरे को मलाकर कैरी बैग बनाना है।
  - यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है, जहाँ **प्लास्टिक कचरे को डिस्ट्रक्चर्ड, डिगिरेडेड, डाइलूटेड** किया जाता है तथा इसे **हस्तनरिमति कागज़ बनाते समय पेपर पल्प** के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रकृत से प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायता मिलती है।
- यह उपलब्धि [सगिल यूज़ प्लास्टिक](#) के खतरे से लडने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है।
- अपशष्टि-प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ के उत्पादन से **दोहरे उद्देश्यों** की पूरति होने की संभावना है:
  - पर्यावरण की रक्षा
  - स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वकिसति तकनीक **उच्च एवं नमिन घनत्व वाले अपशष्टि** पॉलीथनि दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज़ को अतरिकित मज़बूती देती है बल्कलागत को 34 प्रतशित तक कम करती है।
- KVIC ने प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ का उपयोग करके कैरी बैग, लफिफे, फाइल / फोल्डर आदि जैसे कई उत्पाद वकिसति किये हैं।

#### पेटेंट

- **पेटेंट, सरकार** द्वारा पेटेंट कराने वाले को **सीमति समय** के लिये आवषिकार हेतु दिया गया एक **वैधानिक अधिकार** है, पेटेंट के तहत उत्पाद बनाने,

उपयोग करने, बेचने, आयात करने तथा दूसरों को सहमति के बिना उन उद्देश्यों हेतु उत्पाद का उत्पादन करने की प्रक्रिया से बाहर कर आवधिकार का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करता है।

- भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि **पेटेंट हेतु आवेदन करने की तथिसे 20 वर्ष** तक है।
- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 और पेटेंट नयिम, 2003 द्वारा संशोधित **पेटेंट अधिनियम, 1970** के माध्यम से शासित है।
- बदलते परविश के अनुरूप पेटेंट नयिमों में नयिमति रूप से संशोधन कया जाता है, जैसे - **हालया संशोधन 2016** में।
- **पेटेंट संरक्षण एक कषेत्रीय अधिकार है**, इसलये यह केवल भारतीय कषेत्र में ही प्रभावी है।
  - वैशवक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है।
  - पेटेंट प्रत्येक देश में प्राप्त कया जाना चाहये जहाँ आवेदक को अपने आवधिकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

## खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांखिक नकयाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कषेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसयों के साथ मलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा वकिस के लये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुवधिएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत कार्य करता है।
- KVIC से संबद्ध प्रमुख पहलें:
  - [हनी मशिन पहल](#)
  - [प्रोजेक्ट बोलड](#)
  - [लेदर मशिन](#)
  - [ग्रामोद्योग वकिस योजना](#)
  - [कुम्हार सशक्तीकरण योजना \(KSY\)](#)

## ई-जेल परयोजना

### E-Prisons Project

गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-जेल परयोजना (E-Prisons Project) के लये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 99.49 करोड़ रुपए की वत्तीय सहायता प्रदान की है।

- साथ ही गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस' (नमिहांस) ने [कंदयों और जेल कर्मचारयों के मानसक स्वास्थय के मुदों के परबंधन के लये दशा-नरिदेश](#) जारी कये हैं।

## प्रमुख बदि

संदर्भ:

- इस परयोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर दया गया है।
- **इंटर-ऑपरेबल क्रमिनिल जस्टिस ससि्टम** के तहत ई-जेल डेटा को पुलिस और कोर्ट ससि्टम के साथ एकीकृत कया गया है।
- ई-जेल एप्लीकेशन को **राष्ट्रीय सूचना वज्ज्ञान केंद्र (NIC)**, इलेक्ट्रॉनकिस और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा वकिसित कया गया है।
- इसके 3 घटक हैं:
  - **ई-जेल परबंधन सूचना प्रणाली (MIS):** इसका उपयोग जेलों में दनि-प्रतदिनि की नयिमति गतवधियों के लये कया जाता है।
  - **राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल:** यह एक नागरक केंद्रति पोर्टल है जो देश की वभिन्न जेलों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शति करता है।
  - **कारा बाज़ार:** देश की वभिन्न जेलों में बंदयों द्वारा नरिमति उत्पादों को प्रदर्शति करने और बेचने के लये पोर्टल।

इंटर-ऑपरेबल क्रमिनिल जस्टिस ससि्टम:

- यह पुलिस, फोरेंसक, अभयोजन, अदालतों, जेलों सहति आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों की सूचना के आदान-प्रदान और वश्लेषण के लये एक सामान्य मंच है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य स्तंभों के बीच आवश्यक जानकारी साझा करने में होने वाली त्रुटयों और लगने वाले समय (जो प्रायः बड़ी चुनौतयों का कारण बनता है जैसे- परीक्षण की लंबी अवधि, खराब सजा, दस्तावेजों का पारगमन नुकसान आदी) को कम करना है।
- बार-बार और आदतन यौन अपराधयों की पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने के लये यौन अपराधयों पर राष्ट्रीय डेटाबेस **National Database on Sexual Offenders- NDSO**) जैसी सुवधि ICJS पारतित्तर से प्राप्त होने वाले कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ हैं।

## कारागार/'उसमें नरुद्ध वुक्ती'

- यह भारत के संवधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रवर्षुटि 4 के तहत राज्य का वषिय है ।
- जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधति राज्य सरकारों का उत्तरदायतिव है ।
- हालौंका गृह मंत्रालय जेलों और कैदरियों से संबंधति वभिनिन मुद्दों पर राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को नयिमति मार्गदर्शन और सलाह देता है ।
- सुप्रीम कोर्ट ने सतिंबर 2018 में जेलों में भीड़भाड़, दोषरियों को कानूनी सलाह की कमी से लेकर छूट और पैरोल के मुद्दों तक वभिनिन समस्याओं की जाँच के लयि [जसटसि रॉय कमेटी](#) की नयुक्ती की थी ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-06-august-2021>

